"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 20]   रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 15 मई 2009—वैशाख 25, शक 1931

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 अप्रैल 2009

क्रमांक ई-1-5/2006/1/2.— छत्तीसगढ़ राज्य संवर्ग को आवंटित भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2008 बैच के निम्नलिखित परिवीक्षाधीन अधिकारियों को लाल बहादुर शास्त्री, राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में प्रथम दौर के प्रशिक्षण की समाप्ति पर राज्य में प्रशिक्षण के लिये उनके नाम के सामने दर्शाये जिलों में सहायक कलेक्टर के पद पर पदस्थ किया जाता है :—

स. क्र.	अधिकारी का नाम	जिले का नाम जहां सहायक कलेक्टर के पद पर पदस्थ किये गये
(1)	(2)	(3)
1.	श्री राजेश सिंह राणा	रायपुर

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.

(1)	(2)	(3)
2.	श्री निखिल गजराज	बिलासपुर
3.	सुश्री शिखा राजपूत	राजनांदगांव
4.	श्री भीम सिंह	सरगुजा
5.	श्री नीरज कुमार बंसोड़	दुर्ग

2. उपर्युक्त अधिकारी लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में प्रथम दौर के प्रशिक्षण के बाद कार्यमुक्त होने पर, कार्यग्रहण अवधि का लाभ उठाकर अपनी पदस्थापना के जिले में कार्यभार ग्रहण करेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. जॉय उम्मेन, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 4 मई 2009

क्रमांक ई-7/34/2004/1/2.— डॉ. दुर्गेश मिश्रा, भा. प्र. से., सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग को दिनांक 25-05-2009 से 30-05-2009 तक (6 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 24 एवं 31 मई 2009 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर डॉ. मिश्रा, आगामी आदेश तक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में डॉ. मिश्रा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. मिश्रा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकुन्द गजभिये, अवर सचिव.

सूचना प्रौद्यागिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2009

क्रमांक 59/वि. स./सू. प्रौ./आर. टी. आई./2009.— सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 के प्रावधान के अनुसार इसके क्रियान्वयन हेतु एतद्द्वारा इस विभाग के लिये निम्नानुसार अपीलीय अधिकारी, जन सूचना अधिकारी एवं सहायक जन सूचना अधिकारी नामांकित किये जाते हैं.

(1)	अपीलीय अधिकारी	-	विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सू. प्रौ. एवं जैव प्रौ.
(2)	जन सूचना अधिकारी	-	उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सू. प्रौ. एवं जैव प्रौ.
(3)	सहायक जन सूचना अधिकारी	-	विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन, सू. प्रौ. एवं जैव प्रौ.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमन कुमार सिंह, विशेष सचिव,

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 अप्रैल 2009

क्रमांक 777/398/32/2006.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 (क) की उप धारा (2) के अंतर्गत सूचना क्रमांक-1573/398/32/2006 दिनांक 01-08-2008 द्वारा बिलासपुर विकास योजना (उपांतरित) 2011 में निम्नानुसार उपांतरण प्रस्तावित किया गया है, जिसकी सूचना दो समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी.

बिलासपुर विकास योजना (उपांतरित) 2011 में उपांतरण प्रस्ताव

क्र.	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	रकबा	विकास योजना अंगीकृत प्रस्ताव	अधिनियम की धारा 23 "क" के तहत उपांतरण के प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	मंगला	245, 246, 247, 268 का पार्ट, 269, 270, 1282, 1283, 1281 का पार्ट, 1287/1, 1287/2, 273, 271 का पार्ट, 1274/1 का पार्ट, 268 का पार्ट, 272, 1281 का पार्ट, 1274/1 का पार्ट, 1274/2 का पार्ट.	21.37 में से 18.85 एकड़	आवासीय	शैक्षणिक
		योग	**18.85 एकड़ (7.628 हे.)**		

सूचना में उल्लेखित निश्चित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं. अत: राज्य शासन एतद्द्वारा बिलासपुर विकास योजना (उपांतरित) 2011 में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है तथा सूचित करता है कि यह उपांतरण बिलासपुर विकास योजना (उपांतरित) 2011 का अंगीकृत भाग होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. बजाज, विशेष सचिव.

गृह (सामान्य) विभाग
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 मार्च 2009

क्रमांक एफ-9-02/दो/गृह/परीक्षा/09.—पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 19 जनवरी, 2009 को प्रश्नपत्र "पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया" (पुस्तकों सहित-टिप्पणी रहित केवल अधिनियम तथा नियम की पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम	उत्तीर्ण होने का स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री देवराज साव	उप पंजीयक	सश्रेय से उत्तीर्ण

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	श्री चन्द्र प्रकाश ओगरे	उप पंजीयक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 30 मार्च 2009

क्रमांक एफ-9-06/दो/गृह/परीक्षा/09.—सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 19 जनवरी, 2009 को "दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया" द्वितीय प्रश्नपत्र दाण्डिक मामले में आदेश/निर्णय का लिखा जाना विषय में सम्पन्न हुई थी में निम्नांकित परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री गोशनर कुजूर	सहा. अधीक्षक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
2.	श्री रामेश्वर प्रसाद सुनहरे	सहा. अधीक्षक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र जगदलपुर		
3.	श्री संजय कन्नौजे	डिप्टी कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र रायपुर		
4.	श्री एस. भारती दासन	सहायक कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
5.	श्री अलेक्स पाल मेनन	सहायक कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 30 मार्च 2009

क्रमांक एफ-9-10/दो/गृह/परीक्षा/09.—उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 20 जनवरी, 2009 को प्रश्नपत्र "अधिनियम तथा नियम" (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री नील कुसुम टोप्पो	सहायक प्रबंधक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
2.	श्री जयसिंह राज	सहायक प्रबंधक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
3.	श्री लक्ष्मण प्रताप सिंह चिड़ार	सहायक प्रबंधक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
4.	सुश्री रेखा क्षत्रिय	सहायक प्रबंधक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
5.	श्री जगतराम ध्रुव	सहायक प्रबंधक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
6.	श्री पुकूल राम खण्डेलवाल	सहायक प्रबंधक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
7.	श्री चैतन्य कुमार	सहायक प्रबंधक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 30 मार्च 2009

क्रमांक एफ-9-13/दो/गृह/परीक्षा/09.—उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 20 जनवरी, 2009 को प्रश्नपत्र "प्रक्रिया विकास योजनाओं राज्य के साधनों, राज्य की नियम पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान (पुस्तकों सहित)" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री नील कुसुम टोप्पो	सहायक प्रबंधक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
2.	श्री जय सिंह राज	सहायक प्रबंधक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
3.	श्री लक्ष्मण प्रताप सिंह चिडार	सहायक प्रबंधक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
4.	सुश्री रेखा क्षत्रिय	सहायक प्रबंधक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
5.	श्री पुकूल राम खण्डेलवाल	सहायक प्रबंधक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
6.	श्री जगतराम ध्रुव	सहायक प्रबंधक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
7.	श्री चैतन्य कुमार	सहायक प्रबंधक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र बिलासपुर		
8.	श्री नरेन्द्र कुमार साहू	सहायक प्रबंधक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 30 मार्च 2009

क्रमांक एफ-9-14/दो/गृह/परीक्षा/09.—सहकारिता विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 20 जनवरी, 2009 को तीसरा प्रश्नपत्र-बैंकिग (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	सुश्री मंजु महेन्द्र पाण्डेय	सहायक पंजीयक सहकारिता	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
2.	श्री आशीष कुमार शर्मा	सहायक पंजीयक सहकारिता	उच्चस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 30 मार्च 2009

क्रमांक एफ-9-16/दो/गृह/परीक्षा/09.—वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 21-01-2009 को प्रश्नपत्र "पुस्तपालन तथा कर निर्धारण" (पुस्तक सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	सुश्री अनिता बग्गा	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र बिलासपुर		
2.	श्री मनीष मिश्रा	वाणिज्यिक कर अधिकारी	उच्चस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 30 मार्च 2009

क्रमांक एफ-9-26/दो/गृह/परीक्षा/09.—सहकारिता विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 21 जनवरी, 2009 को प्रश्नपत्र-4 (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री आशीष कुमार शर्मा	सहायक पंजीयक सहकारिता	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
2.	सुश्री मंजु महेन्द्र पाण्डेय	सहायक पंजीयक सहकारिता	उच्चस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 30 मार्च 2009

क्रमांक एफ-9-28/दो/गृह/परीक्षा/09.—सामान्य प्रशासन विभाग, राजस्व, सहायक जिलाध्यक्षों, उप जिलाध्यक्षों, तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा जो दिनांक 22 जनवरी, 2009 को प्रश्नपत्र "लेखा" प्रथम (बिना पुस्तकों के) द्वितीय प्रश्नपत्र (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री अमित कुमार श्रीवास्तव	नायब तहसीलदार	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2009

क्रमांक एफ-9-22/दो/गृह/परीक्षा/09.—पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा जो दिनांक 21 जनवरी, 2009 को प्रश्नपत्र "पुलिस शाखा" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र जगदलपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री मयंक श्रीवास्तव	आई. पी. एस. सहा. पु. अधीक्षक	उत्तीर्ण
2.	श्री माईथुगी धुगोंई	आई. पी. एस. सहा. पु. अधीक्षक	उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2009

क्रमांक एफ-9-36/दो/गृह/परीक्षा/09.—जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा जो दिनांक 22 जनवरी, 2009 को प्रश्नपत्र "लेखा" (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री नसीम अहमद खान	सहा. जन. अधिकारी	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
2.	श्री सुरेन्द्र शुक्ल	सहा. जन. अधिकारी	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
3.	श्री मृगेन्द्र सिंह सोरी	सहा. जन. अधिकारी	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
4.	श्री राजेश श्रीवास	सहा. जन. अधिकारी	निम्नस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2009

क्रमांक एफ-9-39/दो/गृह/परीक्षा/09.—कृषि विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा जो दिनांक 23 जनवरी, 2009 को प्रश्नपत्र "लेखा-प्रथम" (पुस्तकों सहित) द्वितीय-प्रश्नपत्र (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र जगदलपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	सुश्री कल्पना मरकाम	यांत्रिक सहायक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
2.	श्री सुरेन्द्र कुमार डोंगरे	यांत्रिक सहायक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2009

क्रमांक एफ-9-42/दो/गृह/परीक्षा/09.—सहकारिता विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा जो दिनांक 23 जनवरी, 2009 को प्रश्नपत्र-5 (व्यवहारिक) आदेश लेखन (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री आशीष कुमार शर्मा	सहायक पंजीयक सहकारिता	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
2.	सुश्री मंजु महेन्द्र पाण्डेय	सहायक पंजीयक सहकारिता	उच्चस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2009

क्रमांक एफ-9-44/दो/गृह/परीक्षा/09.—जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा जो दिनांक 23 जनवरी, 2009 को प्रश्नपत्र "अनुसूचित जाति तथा आदिवासी विकास प्रश्नपत्र तृतीय" (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री सुरेन्द्र शुक्ल	सहा. जनसम्पर्क अधिकारी	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
2.	श्री मृगेन्द्र सिंह सोरी	सहा. जनसम्पर्क अधिकारी	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
3.	श्री नसीम अहमद खान	सहा. जनसम्पर्क अधिकारी	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
4.	श्री राजेश श्रीवास	सहा. जनसम्पर्क अधिकारी	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र बिलासपुर		
5.	श्री मनराखन मरकाम	सहा. जनसम्पर्क अधिकारी	निम्नस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 4 अप्रैल 2009

क्रमांक एफ-9-17/दो/गृह/परीक्षा/09.—वन विभाग के वन संरक्षकों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा जो दिनांक 21 जनवरी, 2009 को प्रश्नपत्र "वन विधि प्रश्नपत्र-1" (बिना पुस्तकों) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री प. अरूण प्रसाद	सहायक वन संरक्षक	उत्तीर्ण

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	श्री केनिल्हूल्योलिए मेचियो	सहायक वन संरक्षक	उत्तीर्ण
		परीक्षा केन्द्र जगदलपुर	
3.	श्री विवेक आचार्य	सहायक वन संरक्षक	उत्तीर्ण
4.	श्री बलराम सिंह भण्डारी	सहायक वन संरक्षक	उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 4 अप्रैल 2009

क्रमांक एफ-9-40/दो/गृह/परीक्षा/09.—जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा जो दिनांक 23 जनवरी, 2009 को प्रश्नपत्र "छत्तीसगढ़ मूलभूत तथ्य एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वितीय प्रश्न" (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री नसीम अहमद खान	सहा. जन. अधिकारी	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
2.	श्री सुरेन्द्र शुक्ल	सहा. जन. अधिकारी	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
3.	श्री मृगेन्द्र सिंह सोरी	सहा. जन. अधिकारी	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
4.	श्री राजेश श्रीवास	सहा. जन. अधिकारी	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
		परीक्षा केन्द्र बिलासपुर	
5.	श्री मनराखन मरकाम	सहा. जन. अधिकारी	निम्नस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 4 अप्रैल 2009

क्रमांक एफ-9-43/दो/गृह/परीक्षा/09.—वन विभाग के सहायक वन संरक्षकों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा जो दिनांक 23 जनवरी, 2009 को प्रश्नपत्र "प्रक्रिया तथा लेखा प्रश्नपत्र-3" (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री पी. अरूण प्रसाद	सहा. वन संरक्षक	उत्तीर्ण
2.	श्री केनिल्हूत्योलिए मेचियों	सहा. वन संरक्षक	उत्तीर्ण

(1)	(2)	(3)	(4)
	परीक्षा केन्द्र जगदलपुर		
3.	श्री विवेक आचार्य	सहा. वन संरक्षक	उत्तीर्ण
4.	श्री बलराम सिंह भण्डारी	सहा. वन संरक्षक	उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 4 अप्रैल 2009

क्रमांक एफ-9-46/दो/गृह/परीक्षा/09.—ऊर्जा विभाग के विद्युत निरीक्षकों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा जो दिनांक 19 जनवरी, 2009 को प्रश्नपत्र "विद्युत संबंधी विधियां" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	सुश्री कौशिल्या भगत	उप अभियंता	उत्तीर्ण
2.	श्री विकास कुमार सोनी	उप अभियंता	उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 4 अप्रैल 2009

क्रमांक एफ-9-47/दो/गृह/परीक्षा/09.—ऊर्जा विभाग के विद्युत निरीक्षकों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा जो दिनांक 19 जनवरी, 2009 को प्रश्नपत्र-2 "भू-योजना तथा विद्युत सुरक्षा" (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	सुश्री कौशिल्या भगत	उप अभियंता	उत्तीर्ण
2.	श्री विकास कुमार सोनी	उप अभियंता	उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 6 अप्रैल 2009

क्रमांक एफ-9-19/दो/गृह/परीक्षा/09.—पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा जो दिनांक 21 जनवरी, 2009 को प्रश्नपत्र "व्यवहारिक शाखा" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री अविनाश मोहन्ती	ए. डी. सी. (राज्यपाल के परिसहाय)	उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र जगदलपुर		
2.	श्री मयंक श्रीवास्तव	ए. एस. पी.	उत्तीर्ण
3.	श्री माईथुगी धुगोंई	ए. एस. पी.	उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 6 अप्रैल 2009

क्रमांक एफ-9-35/दो/गृह/परीक्षा/09.—नैसर्गिक संसाधन विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा जो दिनांक 22 जनवरी, 2009 को प्रश्नपत्र "लेखा" (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	सुश्री प्राची अवस्थी	खनिज अधिकारी	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
2.	डॉ. दिनेश कुमार मिश्रा	खनिज अधिकारी	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
3.	श्री कुन्दन कुमार बंजारे	खनिज अधिकारी	उच्चस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 6 अप्रैल 2009

क्रमांक एफ-9-45/दो/गृह/परीक्षा/09.—सभी विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा जो दिनांक 24 जनवरी, 2009 को प्रश्नपत्र "हिन्दी" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री केनिल्हू त्योलिए मोचियो	डी. सी. एफ	उत्तीर्ण

(1)	(2)	(3)	(4)
	परीक्षा केन्द्र बिलासपुर		
2.	डॉ. एम. एस. मरावी	पशु. चि. सहा. शल्यज्ञ	उत्तीर्ण
3.	डॉ. एस. एल. ओग्रय	पशु. चि. सहा. शल्यज्ञ	उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 6 अप्रैल 2009

क्रमांक एफ-9-51/दो/गृह/परीक्षा/09.—ऊर्जा विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा जो दिनांक 21 जनवरी, 2009 को प्रश्नपत्र "Insulation Co-Ordination & Hazardous Area (Without Books)" ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री, उप अभियंता एवं पर्यवेक्षकों के लिये विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री भानु प्रकाश साहू	उप अभियंता	उत्तीर्ण
2.	सुश्री सुनीता पटैरिया	उप अभियंता	उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र बिलासपुर		
3.	श्री विकास कुमार सोनी	उप अभियंता	उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 9 अप्रैल 2009

क्रमांक एफ-9-23/दो/गृह/परीक्षा/09.—वन विभाग के वन संरक्षकों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा जो दिनांक 21 जनवरी, 2009 को प्रश्नपत्र "सामान्य विधि प्रश्नपत्र-2" (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री केनिल्हूल्योलिए मेचियो	सहायक वन संरक्षक	उत्तीर्ण
2.	श्री पी. अरूण प्रसाद	सहायक वन संरक्षक	उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र जगदलपुर		
3.	श्री बलराम सिंह भण्डारी	सहायक वन संरक्षक	उत्तीर्ण
4.	श्री विवेक आचार्य	सहायक वन संरक्षक	उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 9 अप्रैल 2009

क्रमांक एफ-9-49/दो/गृह/परीक्षा/09.—ऊर्जा विभाग के सहायक अभियंता/उप अभियंता (डिग्री/डिप्लोमाधारियों) के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा जो दिनांक 20 जनवरी, 2009 को प्रश्नपत्र-4 "लेखा व स्थापना" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री विकास कुमार सोनी	उप अभियंता	उत्तीर्ण
2.	सुश्री कौशिल्या भगत	उप अभियंता	उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 9 अप्रैल 2009

क्रमांक एफ-9-50/दो/गृह/परीक्षा/09.—ऊर्जा विभाग के विद्युत निरीक्षकों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा जो दिनांक 21 जनवरी, 2009 को प्रश्नपत्र-5 ऊर्जा विभाग के प्रश्नपत्र "स्विच गेयर तथा संरक्षण ऊर्जा" (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री भानुप्रकाश साहू	उप अभियंता	उत्तीर्ण
2.	सुश्री सुनीता पटैरिया	उप अभियंता	उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र बिलासपुर		
3.	श्री विकास कुमार सोनी	उप अभियंता	उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 9 अप्रैल 2009

क्रमांक एफ-9-52/दो/गृह/परीक्षा/09.—सहा. कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अधीक्षक भू-अभिलेख, सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख, जिला कार्यालय के अधीक्षक, ग्रामीण विकास विभाग के विकासखंड अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक, क्षेत्र संयोजक, विकासखण्ड अधिकारी तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 23 जनवरी, 2009 को प्रश्नपत्र

"पंचायत राज विधि तथा प्रक्रिया" (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री बसवराजू एस.	सहा. कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र बिलासपुर		
2.	श्री हीरालाल देवांगन	राजस्व निरीक्षक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
3.	श्री दिलजीत सिंह भट्टी	राजस्व निरीक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
4.	श्री गोशनर कुजूर	सहा. अधीक्षक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
5.	श्री रामेश्वर प्रसाद सुनहरे	सहा. अधीक्षक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 21 अप्रैल 2009

क्रमांक एफ-9-01/दो/गृह/परीक्षा/09.—सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा जो दिनांक 19 जनवरी, 2009 को प्रश्नपत्र "दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया" प्रथम प्रश्नपत्र (पुस्तक सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री शम्मी आबिदी	सहायक कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
2.	श्री हिम शिखर गुप्ता	सहायक कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
3.	श्री अजय कुमार अग्रवाल	डिप्टी कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
4.	श्री लोकेश कुमार चंद्राकर	डिप्टी कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
5.	श्री भगवान सिंह उइके	डिप्टी कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
6.	सुश्री पुष्पा श्रीवास्तव खरे	अधीक्षक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र बिलासपुर		
7.	सुश्री द्रोपती जेसवानी	डिप्टी कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
8.	श्री तीर्थराज अग्रवाल	डिप्टी कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
9.	श्री विश्वास राव मस्के	नायब तहसीलदार	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
10.	सुश्री रीता यादव	डिप्टी कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
11.	श्री आशुतोष पाण्डेय	डिप्टी कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
12.	श्री पी. दयानन्द	सहायक कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
13.	श्री अमित कुमार श्रीवास्तव	नायब तहसीलदार	उच्चस्तर से उत्तीर्ण

(1)	(2)	(3)	(4)
14.	श्री प्रकाश कुमार सर्वे	डिप्टी कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
15.	श्री सुखनाथ अहिरवार	डिप्टी कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
16.	श्री रामेश्वर प्रसाद सुनहरे	स. अ. भू. अ.	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
		परीक्षा केन्द्र जगदलपुर	
17.	श्री अश्वनी देवांगन	डिप्टी कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 21 अप्रैल 2009

क्रमांक एफ-9-04/दो/गृह/परीक्षा/09.—वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा जो दिनांक 19 जनवरी, 2009 को प्रश्नपत्र "विधि एवं प्रक्रिया" (पुस्तकों सहित केवल अधिनियम) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	सुश्री श्वेता चंद्राकर	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
		परीक्षा केन्द्र बिलासपुर	
2.	श्री दीपक गिरि	वाणिज्यिक कर अधिकारी	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
3.	श्री मनीष मिश्रा	वाणिज्यिक कर अधिकारी	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
4.	सुश्री सुनीता सिंह	वाणिज्यिक कर अधिकारी	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
5.	श्री प्रवीण चंद्र श्रीवास्तव	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
6.	श्री नरेन्द्र कुमार वर्मा	वाणिज्यिक कर अधिकारी	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
7.	सुश्री श्रद्धा सुमन वर्मा	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
8.	सुश्री गुलापा पुरसेठ	वाणिज्यिक कर अधिकारी	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
9.	श्री आशीष सिंह ठाकुर	वाणिज्यिक कर अधिकारी	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
10.	श्री मुकेश कुमार त्यागी	वाणिज्यिक कर अधिकारी	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
11.	सुश्री लता जलहरे	वाणिज्यिक कर अधिकारी	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
12.	श्री महेन्द्र कुमार घनेलिया	वाणिज्यिक कर अधिकारी	सश्रेय से उत्तीर्ण
13.	सुश्री जोसीता तिग्गा	वाणिज्यिक कर अधिकारी	उच्चस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 21 अप्रैल 2009

क्रमांक एफ-9-07/दो/गृह/परीक्षा/09.—सहकारिता विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा जो दिनांक 19 जनवरी, 2009 को दूसरा प्रश्नपत्र (पुस्तकों सहित) के विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री आशीष कुमार शर्मा	सहायक पंजीयक सहकारिता	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
2.	सुश्री मंजु महेन्द्र पाण्डेय	सहायक पंजीयक सहकारिता	उच्चस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 21 अप्रैल 2009

क्रमांक एफ-9-11/दो/गृह/परीक्षा/09.—नैसर्गिक संसाधन (खनिज साधन) विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा जो दिनांक 20 जनवरी, 2009 को प्रश्नपत्र "खनिज प्रबंध" (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	सुश्री प्राची अवस्थी	खनिज अधिकारी	सश्रेय से उत्तीर्ण
2.	डॉ. दिनेश कुमार मिश्रा	खनिज अधिकारी	सश्रेय से उत्तीर्ण
3.	श्री कुन्दन कुमार बंजारे	खनिज अधिकारी	सश्रेय से उत्तीर्ण
4.	श्री भूपेन्द्र कुमार चन्द्राकर	खनिज अधिकारी	सश्रेय से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 21 अप्रैल 2009

क्रमांक एफ-9-34/दो/गृह/परीक्षा/09.—उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा जो दिनांक 22 जनवरी, 2009 को प्रश्नपत्र "लेखा" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री चैतन्य कुमार	सहायक प्रबंधक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
2.	श्री नील कुसुम टोप्पो	सहायक प्रबंधक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	श्री जय सिंह राज	सहायक प्रबंधक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
4.	श्री लक्ष्मण प्रताप सिंह चिड़ार	सहायक प्रबंधक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
5.	श्री जगतराम ध्रुव	सहायक प्रबंधक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
6.	श्री पुकूल राम खण्डेलवाल	सहायक प्रबंधक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
7.	सुश्री रेखा क्षत्रिय	सहायक प्रबंधक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 21 अप्रैल 2009

क्रमांक एफ-9-37/दो/गृह/परीक्षा/09.—पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा जो दिनांक 23 जनवरी, 2009 को प्रश्नपत्र "लेखा" प्रथम प्रश्नपत्र (बिना पुस्तकों के) द्वितीय प्रश्नपत्र (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	डॉ. श्याम लाल ओग्रेय	सहा. शल्यज्ञ	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
2.	डॉ. एम. एस. मरावी	सहा. शल्यज्ञ	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
3.	डॉ. कौशल प्रसाद भरावी	सहा. शल्यज्ञ	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र जगदलपुर		
4.	डॉ. पंचरतन सिंह नेगी	सहा. शल्यज्ञ	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
5.	डॉ. ललित कुमार बघेल	सहा. शल्यज्ञ	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
6.	डॉ. प्रेम लाल शोरी	सहा. शल्यज्ञ	उच्चस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 25 अप्रैल 2009

क्रमांक एफ-9-09/दो/गृह/परीक्षा/09.—सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा जो दिनांक 20 एवं 21 जनवरी, 2009 को प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया प्रथम प्रश्नपत्र भाग बी एवं सी (बिना पुस्तकों) द्वितीय प्रश्नपत्र (पुस्तकों सहित) तृतीय प्रश्नपत्र (आदेश का लिखा जाना) में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है. निम्नांकित परीक्षार्थियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित प्रश्नपत्र में अपेक्षित स्तर अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त कर लेने के फलस्वरूप आगामी परीक्षा में बैठने से छूट प्रदान की जाती है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	सुश्री किरण कौशल	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय में सश्रेय से उत्तीर्ण तृतीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	श्री अलेक्स वी. एफ. पाल. मेनन. वी.	सहायक कलेक्टर	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
3.	सुश्री पद्मिनी भोई	डिप्टी कलेक्टर	तृतीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

4.	श्री देवेन्द्र कुमार चौधरी	नायब तहसीलदार	तृतीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
5.	श्री पी. दयानन्द	सहायक कलेक्टर	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
6.	श्री रामेश्वर प्रसाद सुनहरे	सहायक अधीक्षक	तृतीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
7.	श्री गोशनर कुजूर	सहायक अधीक्षक	तृतीय में निम्नस्तर से उत्तीर्ण
8.	श्री रेणुका श्रीवास्तव	डिप्टी कलेक्टर	तृतीय में सश्रेय से उत्तीर्ण
9.	श्री अशुतोष पाण्डेय	डिप्टी कलेक्टर	तृतीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
10.	सुश्री सौम्या चौरसिया	डिप्टी कलेक्टर	तृतीय में सश्रेय से उत्तीर्ण
11.	सुश्री रीता यादव	डिप्टी कलेक्टर	तृतीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
12.	सुश्री अवन्ती गुप्ता	नायब तहसीलदार	तृतीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 24 अप्रैल 2009

विभागीय परीक्षा माह जुलाई, 2009 का सूचना तथा कार्यक्रम

क्रमांक एफ 9-53/दो-गृह 2009.—छत्तीसगढ़ शासन के उन अधिकारियों को (जिनके लिये विभागों द्वारा विभागीय परीक्षा निर्धारित की गई हो) विभागीय परीक्षा सोमवार, दिनांक 20 जुलाई से 25 जुलाई, 2009 तक रायपुर, बिलासपुर तथा बस्तर (जगदलपुर) के कलेक्टरों द्वारा नियत किये जाने वाले स्थानों में निम्नांकित कार्यक्रमों के अनुसार होगी. नीचे सूची में दर्शाये अनुसार कलेक्टर्स अपनी जानकारी उपरोक्तानुसार संबंधित परीक्षा केन्द्र के कलेक्टर्स को उपलब्ध करायें.

सोमवार, दिनांक 20-07-2009

क्रमांक (1)	प्रश्नपत्र (2)	समय (3)
1.	पहला प्रश्नपत्र दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) भू-अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिए.	**प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.**
2.	**पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल अधिनियम तथा नियम की पुस्तकों सहित)**	

(1)	(2)	(3)
3.	विधि तथा प्रक्रिया-उत्पादन शुल्क/आबकारी विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	
4.	विधि तथा प्रक्रिया-विक्रय कर विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल नियमों की पुस्तकों सहित)	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
5.	पहला प्रश्नपत्र-सहकारिता (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये	
59.	विद्युत संबंधी विधियां-ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के)	
	सोमवार, दिनांक 20-07-2009	
6.	दूसरा प्रश्नपत्र-दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया दाण्डिक मामलों में आदेश/निर्णय का लिखा जाना भू-अभिलेख विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये.	
7.	दूसरा प्रश्नपत्र सहकारिता तथा सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
8.	समाज कल्याण (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये	
60.	भू-योजना तथा विद्युत सुरक्षा-ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये (बिना पुस्तकों के)	
	मंगलवार, दिनांक 21-07-2009	
9.	पहला प्रश्नपत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) भाग-"ए" आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
10.	पहला प्रश्नपत्र प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) राजस्व भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये भाग-"बी".	
11.	पहला प्रश्नपत्र प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) राजस्व भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये भाग-"सी".	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
12.	उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	
13.	प्रश्नपत्र-खनिज प्रबंध (पुस्तकों सहित) (नैसर्गिक संसाधन) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये.	
14.	लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया-प्रथम प्रश्नपत्र पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना-पुस्तकों के).	
61.	विद्युत संस्थापनायें ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये (बिना-पुस्तकों के)	

मंगलवार, दिनांक 21-07-2009

(1)	(2)	(3)
15.	दूसरा प्रश्नपत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) राजस्व भू-अभिलेख, आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
16.	प्रक्रिया विकास योजनाओं राज्यों के साधनों राज्य के नियम पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	
17.	तीसरा प्रश्नपत्र बैंकिंग (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये	
18.	समाज शिक्षा (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये	
19.	लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया-द्वितीय प्रश्नपत्र पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	
62.	लेखा व स्थापना ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये (बिना पुस्तकों के)	

बुधवार, दिनांक 22-07-2009

(1)	(2)	(3)
20.	तीसरा प्रश्नपत्र-प्रशासनिक, राजस्व विधि तथा प्रक्रिया, राजस्व के मामले में आदेश का लिखा जाना, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
21.	पुस्तपालन तथा कर निर्धारण विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	
22.	प्रश्नपत्र प्रथम वन विधि (बिना पुस्तकों के) सहायक वन संरक्षकों के लिये	
23.	पहला प्रश्नपत्र-प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) वन क्षेत्रपालों के लिये	
24.	पुलिस अधिकारियों की "व्यवहारिक परीक्षा"	
63.	स्विच गेयर तथा संरक्षण ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्रियों के लिये (बिना पुस्तकों के)	

बुधवार, दिनांक 22-07-2009

(1)	(2)	(3)
25.	कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया-विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
26.	सिविल विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	
27.	पुलिस अधिकारियों की "पुलिस शाखा" प्रश्नपत्र (बिना पुस्तकों के)	
28.	दूसरा प्रश्नपत्र-सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहायक वन संरक्षकों के लिये.	
29.	तीसरा प्रश्नपत्र सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) वन क्षेत्रपालों के लिये.	
30.	स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	

(1)	(2)	(3)
31.	चौथा प्रश्नपत्र सहकारी लेखा तथा परीक्षण (बिना पुस्तकों के) भाग-1, लेखा भाग-2 सहकारिता लेखा परीक्षण सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
32.	समाज शास्त्र (पुस्तकों सहित) आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये	
64.	विद्युत रोधन समन्वय तथा परिसंकट ग्रस्ट इंशूलेशन को आर्डिनेशन व हजार्ड एस. एरिया ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री (वि. सु.) के लिये (बिना पुस्तकों के)	
	गुरुवार, दिनांक 23-07-2009	
33.	प्रथम प्रश्नपत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब-तहसीलदारों तथा राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
34.	प्रश्नपत्र-प्रथम लेखा (बिना पुस्तकों के) आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये	
35.	प्रश्नपत्र-प्रथम लेखा (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
36.	प्रश्नपत्र न्यायिक शाखा (बिना पुस्तकों के) पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिये	
37.	लेखा (पुस्तकों सहित) उत्पाद शुल्क/आबकारी विभाग के अधिकारियों के लिये	
38.	लेखा (लेखा पुस्तकों सहित) आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों के लिये	
39.	लेखा (पुस्तकों सहित) उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये	
40.	लेखा (पुस्तकों सहित) नैसर्गिक संसाधन विभाग के अधिकारियों के लिये	
	गुरुवार, दिनांक 23-07-2009	
41.	लेखा (पुस्तकों सहित) जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
42.	द्वितीय प्रश्नपत्र लेखा (पुस्तकों सहित) डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	
43.	द्वितीय प्रश्नपत्र लेखा (पुस्तकों सहित) आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये	
44.	द्वितीय प्रश्नपत्र लेखा (पुस्तकों सहित) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये	
	शुक्रवार, दिनांक 24-07-2009	
45.	सिविल पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये प्रश्नपत्र भाग-1 (बिना पुस्तकों के) पशुचिकित्सा विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
46.	प्रथम प्रश्नपत्र लेखा भाग-1 मत्स्यपालन विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के)	
47.	प्रथम प्रश्नपत्र लेखा (पुस्तकों सहित) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.	

(1)	(2)	(3)
48.	प्रथम प्रश्नपत्र विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) डेयरी विभाग के अधिकारियों के लिये	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
49.	प्रश्नपत्र-द्वितीय छत्तीसगढ़ मूलभूत तथ्य और ग्रामीण विकास, जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	
50.	द्वितीय प्रश्नपत्र लेखा (बिना पुस्तकों के) वन क्षेत्रपालों के लिये	
65.	पंचायत राज प्रशासन (विधि तथा प्रक्रिया) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, अधीक्षक भू-अभिलेख, सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख, जिला कार्यालय के अधीक्षक, ग्रामीण विकास विभाग के विकास खण्ड अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक, क्षेत्र संयोजक, विकास खंड अधिकारी के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के लिये.	
	शुक्रवार, दिनांक 24-07-2009	
51.	सिविल पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों का लेखा प्रश्नपत्र भाग-2 पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये (पुरतकों सहित)	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
52.	प्रश्नपत्र लेखा भाग-2 मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	
53.	सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये किसी मामले में आदेश/प्रतिवेदन लिखने की व्यवहारिक परीक्षा (पुस्तकों सहित)	
54.	तृतीय प्रश्नपत्र प्रक्रिया तथा लेखा (पुस्तकों सहित) सहायक वन संरक्षकों के लिये	
55.	द्वितीय प्रश्नपत्र लेखा (बिना पुस्तकों के) कृषि कार्यपालन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.	
56.	द्वितीय प्रश्नपत्र लेखा तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये	
57.	प्रश्नपत्र तृतीय अ. जा. तथा आदिवासी विकास, जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	
	शनिवार, दिनांक 25-07-2009	
58.	हिन्दी निबंध तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद सभी विभागों के अधिकारियों के लिये	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.

नोट :-

1. सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, राज्य के अधीनस्थ सिविल सेवाओं के सदस्य, भू-अभिलेख कर्मचारियों तथा कलेक्टर कार्यालय के अधीक्षकों को सूचित किया जावे कि विभागीय परीक्षा गृह विभाग द्वारा नये संशोधित नियमों के अन्तर्गत प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ 3-54/98/दो-ए (3), दिनांक 19-03-99 एवं एफ 3-102/90/दो-ए (3) के पाठ्यक्रम के अनुसार होगी. नये नियमों के अन्तर्गत पंचायत राज प्रशासन विधि एवं प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न भी अनिवार्य रूप से रखा गया है.

2. उम्मीदवारों को सूचित किया जावे कि जिन प्रश्नपत्रों में पुस्तकों की सहायता ली जाना है, उन्हें विभागीय परीक्षा के लिये कलेक्टर कार्यालय से पुस्तकें नहीं दी जावेंगी उन्हें अपनी स्वयं की पुस्तकें लानी होगी.

3. सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को जो परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हों, अपने नाम उचित माध्यम द्वारा सीधे अपने विभागाध्यक्षों को भेजना चाहिए.

4. सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को जो परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हों, अपने नाम उचित माध्यम द्वारा शीघ्र अपने विभागाध्यक्षों को भेजना चाहिये. यह भी स्पष्ट किया जावें कि परीक्षार्थी राजपत्रित/अराजपत्रित है का उल्लेख किया जावे.

5. सामान्य प्रशासन विभाग (हरिजन आदिवासी सेल) के ज्ञापन क्रमांक 1/15/77/-1/ह.स. से दिनांक 15 जनवरी, 1978 के अनुसार विभागीय परीक्षा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होने के लिये 10 प्रतिशत अंकों तक छूट दी जाती है. अत: ऐसे परीक्षार्थी तत्संबंध में अपना प्रमाण-पत्र अपने विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्षों को प्रस्तुत करेंगे.

इन प्रमाण-पत्रों को गृह (सामान्य) विभाग, (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ) को नहीं भेजे जावें. संबंधित विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष परीक्षा में भाग लेने वाले व्यक्तियों की सूची के साथ प्रमाण-पत्र संबंधित परीक्षा केन्द्रों के कलेक्टर को दिनांक 06-06-2009 तक भेजेंगे. जिन परीक्षार्थियों द्वारा प्रमाण-पत्र विभागाध्यक्ष के माध्यम से संबंधित कलेक्टर को प्रस्तुत नहीं किये जावेंगे, उन्हें इस प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होगी. वे प्रमाण-पत्र कलेक्टर कार्यालय में रखे जावेंगे.

6. परीक्षा केन्द्र कलेक्टरों से निवेदन है कि परीक्षा में सम्मिलित जिन परीक्षार्थियों द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाण-पत्र उन्हें प्राप्त होंगे उनको शासन को भेजे जाने वाली सूची में स्पष्ट रूप से उल्लेख करें.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक जुनेजा, सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व विभाग

कांकेर, दिनांक 30 अप्रैल 2009

क्रमांक/2051/भू-अर्जन/2009.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	भानुप्रतापपुर	भेजा	3.620	अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उप संभाग, भानुप्रतापपुर.	भेजा व्यपवर्तन निर्माण कार्य बाबत्.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शहला निगार, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 29 अप्रैल 2009

क्र./3134/भू-अर्जन/2009.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुरिया	आगाबांधा प. ह. नं. 70	1.75	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, राजनांदगांव.	दाऊटोला, आयबांधा मार्ग पर डालेकसा नाला में पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 9 मार्च 2009

क्रमांक/06/अ. वि. अ./भू-अर्जन/प्र. क्र. 01/अ/82 वर्ष 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल		के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	पलारी	बलौदी प. ह. नं. 31	619/4	0.112	कार्यपालन अभियन्ता, म.ज.प. द्वितीय चरण कार्य संभाग, रायपुर.	राजीव समोदा निसदा व्यपवर्तन योजना द्वितीय चरण के अंतर्गत मुख्य नहर के निर्माण हेतु.
			620/2	0.020		
			619/5	0.029		
			620/1	0.324		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			619/3	0.430		
			619/8	0.020		
			619/9	0.202		
			619/7	0.101		
			619/6	0.083		
		योग	9	1.321		

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 29 अप्रैल 2009

क्रमांक/3136/भू-अर्जन/2009.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-पनियाजोब, प. ह. नं. 16
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.15 डि. मि. (600 वर्ग मीटर)

खसरा नम्बर (1)	रकबा (डिसमिल में) (2)
134/3	0.15
योग	0.15

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- डोंगरगढ़ आवर्धन ज. प्र.. यो. हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 29 अप्रैल 2009

क्रमांक/3137/भू-अर्जन/2009.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुरिया
- (ग) नगर/ग्राम-चिरचारीखुर्द, प. ह. नं. 59
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.15 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
294/5	0.20
294/7	0.10
297/2	0.20
297/7	0.20
297/5	0.10
294/1	0.15

(1)	(2)
296	0.20
योग 7	1.15

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-माथलडबरी सीताकसा मार्ग के कि. मी. 6/4 पर घुमरिया नाला में पुल पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व), डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 9 मार्च 2009

क्रमांक/06/अ. वि. अ/भू-अर्जन/प्र. क्र. 01/अ/82/वर्ष 2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-पलारी
- (ग) नगर/ग्राम-खपरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.50 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
15	0.004
29	0.411
155/2	0.278
26	0.112
23	0.192
34	0.420
35/2	0.230
27/1	0.060
37	0.040
17/4	0.064
12/2	0.202
13/2	0.008
24/2	0.165
16	0.042
155/1	0.272
14/1	0.285
25/2	0.446
35/1	0.202
13/4	0.293
12/1	0.173
25/1	0.133
13/3	0.182
33/2	0.020
14/2	0.202
11/2	0.048
154/2	0.255
154/1	0.072
24/1	0.03
11/1	0.076
28/1	0.280
36	0.303
योग 31	**5.50**

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-राजीव समोदा निसदा व्यपवर्तन योजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बलौदाबाजार के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 30 मार्च 2009

क्रमांक/08/अ. वि. अ/भू-अर्जन/प्र. क्र. 05/अ/82/वर्ष 2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-पलारी
- (ग) नगर/ग्राम-अहमंदपुर, प. ह. नं. 29
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.734 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
69/3	0.057
79/1	0.085
73/3	0.246
15/1 अ	0.101
75/1	0.02
78/3	0.034
74	0.028
77/1	0.271
82/2	0.004
85/3	0.202
85/6	0.08
79/2	0.08
71/ड	0.172
82/3	0.117
68/1	0.008
82/1	0.182
67/3, 67/4	0.232
78/1	0.27
69/2	0.020
15/1 ग	0.012
85/2	0.194
86	0.101
65/1	0.016
67/1	0.08
67/2	0.16
76/2	0.008
77/2	0.07
15/1 आ	0.405
79/3	0.012
70	0.11
85/7	0.072
15/1 फ	0.202
69/10	0.263
69/12	0.186
69/11	0.263
45/3 ङ	0.08
85/1	0.146
85/5	0.032
85/4	0.065
15/13	0.15
15/1 ण	0.51
78/4	0.08
69/6	0.057
69/9	0.194
69/5	0.057
योग 45	5.734

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-राजीव समोदा निसदा व्यपवर्तन योजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बलौदाबाजार के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 2 मई 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 14/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-रायगढ़
(ग) नगर/ग्राम-दनौट, प. ह. नं. 15
(घ) लगभग क्षेत्रफल-28.347 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
170	0.142
171	1.955
172	2.347
173/7	1.012
173/11	0.202
173/15	0.599
173/4	0.078
173/12	0.202
173/16	0.554
173/14	0.607
173/10	0.809
173/5	0.715
173/13	1.133
173/18	0.162
173/8	0.220
173/17	0.142
173/9	0.652
188/1	0.354
187/1	0.336
187/2	0.668
188/2	0.355
189	1.635
190	0.380
192	0.567
193/3	0.445
193/4	0.040
193/1	0.682
194/1	1.862
193/2	0.142
169	1.534
187/3	0.336
185	3.342
184/2	1.214
183	2.924
योग 34	28.347

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना में विस्थापित परिवारों हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 2 मई 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 16/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-रायगढ़
(ग) नगर/ग्राम-गढ़उमरिया, प. ह. नं. 23
(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.806 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
614/1	0.194
776	0.089
823	0.170
782	0.296
813	0.178
816	0.105
1275	0.250
1277	0.016
1325/2	0.331
1391/2	0.214
1361/1	0.126

(1)	(2)
1363/2	0.004
1371/4	0.123
1387/2	0.178
1393/2	0.109
771/3	0.150
778	0.129
779/2	0.251
810	0.040
811	0.223
812	0.040
819	0.323
1276/1	0.256
1278/2	0.057
1325/3	0.254
1330	0.096
1362/3	0.049
1370/1	0.065
1371/3	0.085
1390/1	0.008
1390/2	0.004
777	0.049
771/2	0.247
1284/1	0.016
781/1	0.057
757/2 ख	0.267
821	0.567
817	0.081
1276/2	0.260
1279/2	0.016
1326/1	0.129
1331	0.255
1362/2	0.218
1371/1	0.002
1386/1	0.234
1392/2	0.065
772/2	0.218
779/1 ख	0.162
790	0.218
791/5	0.057
814	0.202
818	0.234
1394/1	0.202
1325/4	0.020
1364/2	0.154
1339	0.097
1362/4	0.210
1371/2	0.094
1386/2	0.016
1393/1	0.046
योग 60	8.806

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना के झारमुड़ा शाखा नहर से ठेंगापाली वितरक नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 2 मई 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 17/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-मिड़मिड़ा, प. ह. नं. 22
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.373 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1/1	0.049
1/2	0.283
47	0.010
57/3	0.178
60	0.008
158	0.246
182/1	0.041
592/2	0.113
186/1	0.057

(1)	(2)
203	0.049
559/2	0.069
562	0.004
156	0.162
55	0.006
57/4	0.049
154/5	0.198
193	0.010
204	0.085
596/2	0.020
568	0.050
569/5	0.040
592/1	0.016
154/3	0.081
46/1	0.178
171/1	0.077
201/1	0.145
184/1	0.150
57/5	0.129
155/3	0.133
160/1	0.077
182/5	0.040
182/4	0.065
560/1	0.170
596/5	0.137
155/2	0.012
46/2	0.154
157/2	0.129
194	0.142
559/1	0.170
563	0.162
569/4	0.089
160/2	0.158
183/1	0.089
182/3	0.117
185	0.036
195	0.008
558/3	0.004
596/5	0.081
569/1	0.142
573/2	0.446
1/3	0.016
583	0.020
159	0.190
170	0.085
56/2	0.091
58	0.097
541	0.214
564	0.210
572/1	0.004
योग 59	5.373

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना के झारमुड़ा शाखा नहर से ठेंगापाली वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 2 मई 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 18/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-सुकुल भठली, प. ह. नं. 36
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.242 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
163/26	0.089
163/50	0.129
163/75	0.274
163/37	0.206
163/34	0.169
163/23 ख	0.121
163/63	0.093
163/3	0.270

(1)	(2)	(1)	(2)
187	0.032	163/4	0.081
57/2	0.089	163/5	0.081
163/62	0.362	163/7	0.020
163/25	0.101	178	0.197
203	0.238	163/51	0.222
163/24	0.097	163/32	0.182
179/2	0.193	204	0.081
60/1	0.028	163/84	0.413
189/4	0.049	205/4	0.097
202/3	0.065	205/3 ख	0.081
54/19	0.008	179/1	0.024
163/6	0.061	189/2	0.065
189/3	0.069	189/6	0.189
60/2	0.113	186/1	0.259
189/5	0.061	188	0.081
202/1	0.413	योग 49	6.242
163/33	0.016		
163/52	0.117		
163/10	0.020		
163/23 क	0.186		
163/76	0.036		
163/38	0.206		
189/11	0.036		
202/4	0.081		
186/2	0.028		
59/2	0.113		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना के झारमुड़ा शाखा नहर से तेलीपाली वितरक नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. त्यागी, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2009

क्रमांक 3091/तीन-6-2/2009.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्यांक 2 सन् 1974) की धारा 260 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर श्री प्रमोद सिंह परस्ते, न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जगदलपुर, जिला बस्तर को उक्त धारा 260 में उल्लेखित अपराधों के संक्षेपतः विचारण हेतु विशेषतया सशक्त करता है.

No. 3091/III-6-2/2009.—In exercise of the powers conferred under clause (c) of sub-section (1) of Section 260 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh, Bilaspur hereby sepecially empowers Shri Pramod Singh Paraste, Judicial Magistrate First Class, Jagdalpur District Bastar to try in a summary way all or any of the offences specified in the said Section.

By order of Hon'ble the High Court,
ARVIND KUMAR SHRIVASTAVA, Registrar General.